

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 11-3/2013/डब्ल्यूसीडी/50, दिनांक 26-09-2019 के द्वारा श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, जेएमएफसी, अंबिकापुर को किशोर न्याय बोर्ड, अंबिकापुर के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) के रूप में अधिसूचित किया गया है.

श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे के दिनांक 27-06-2020 से 23-12-2020 तक मातृत्व अवकाश में रहने के कारण, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री दुलार सिंह, जेएमएफसी, अंबिकापुर को श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे के मातृत्व अवकाश से लौटने तक किशोर न्याय बोर्ड, अंबिकापुर के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) के रूप नियुक्त करती है.

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, as per the Departmental Notification No. F 11-3/2013/WCD/50, dated 26-09-2019 reconstituted the Juvenile Justice Board, Ambikapur by notifying Smt. Sarojani Janardan Khare, JMFC, Ambikapur as the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board, Ambikapur.

Due to maternity leave of Smt. Sarojani Janardan Khare from date 27-06-2020 to 23-12-2020, the State Government, hereby, appoints Mr. Dular Singh, JMFC, Ambikapur as the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board, Ambikapur till return of Smt. Sarojani Janardan Khare from maternity leave.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीर्थ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.